

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 244 / 16

बउनवान

जानकीलाल पुत्र हीरालाल जाति-गूजर निवासी-खेडलीकेशो
तहसील-बारां, जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक- 27.01.2020

1- अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 23.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-खेडलीकेशो, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 1.60 है० किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती,बेदखली, 800/- रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। मनमाना विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। पूर्व बेदखलीनामा व द्वितीय अतिक्रमी की कोई साक्ष्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2- इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जाँच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में पूर्व बेदखलीनामा व स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करने की कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1022/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1011/14 निर्णय दिनांक 18.12.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 366/16 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

